पत्र सं०–6 एस०एस०(6)54/2025–3655/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–14/8/2025.

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तहत ''नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना'' हेतु कुल ₹ 1002.89970 लाख (दस करोड़ दो लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र की लागत राशि की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तहत ''नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना'' हेतु कुल ₹ 1002.89970 लाख (दस करोड़ दो लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र की लागत राशि की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III, IV, V, VI, VII एवं VIII संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य/परंपरागत मछुआ–लाभुको को नाव एवं जाल पैकेज अनुदानित दर पर उपलब्ध करना है ताकि जीविकोपार्जन हेतु इनके पेशा के अनुरूप मत्स्य शिकारमाही में अपेक्षित मूलभूत सहयोग उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ इन मछुआरों के आजीविका में सुधार, उनके वार्षिक आय तथा बिहार राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिबृद्धि हो सके।

3. योजना से लाभ होंगे :–

(i). राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य/परंपरागत मछुआ–लाभुकों को मत्स्य शिकारमाही हेतु आधुनिक और टिकाऊ नाव और जाल उपलब्ध होगा।

(ii). उनके वार्षिक आय और जीवन स्तर में अपेक्षित सकारात्मक सुधार, आजीविका अधिक स्थिर तथा ग्रामीण अर्थव्ययस्था सुदृढ़ होगा।

(iii). राज्य में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादक्ता में अभिबृद्धि होगा।

(iv). राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

(v). इस योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होगा।

4. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय–सीमा :– इस योजनान्तर्गत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य/परंपरागत मछुआ–लाभुकों को 90 प्रतिशत अनुदान राशि पर 500 नाव एवं 2499 जाल पैकेज के रूप में वितरण का प्रस्ताव है जिसपर अनुदान के रूप में कुल ₹ 1002.89970 लाख राशि व्यय होने का अनुमान है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा।

5. इस योजनान्तर्गत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य/परंपरागत मछुआ–लाभुको के लिए अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में अनुमान्य होगा तथा शेष 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

6. योजना की संक्षिप्त विवरणी :–

इस योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य/परंपरागत मछुआ–लाभुको के लिए पैकेज के रूप में –

(क) फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package).

(ख) फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) तथा

(ग) कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) अवयवों की स्वीकृति प्रस्तावित है।

(क) <u>फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package) वितरण की योजना</u> :–

(i). फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package) वितरण की योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हें परवाना प्राप्त है/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त नहीं है/ परंपरागत मछुआ/महिला–मछुआ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआ लाभुकों– जो मत्स्य शिकारमाही कार्य करते हैं को पैकेज के रूप में 18 फीट × 5 फीट × 1.5 फीट का एक गैर–मोटर चालित लकड़ी की नाव (Non Motorised Wooden Boat), प्रति नाव छः लाइफ जैकेट (Life Jacket), प्रति नाव

एक लाइफबॉय (Lifebuoy)/लाइफरेफ्ट (Life raft), प्रति नाव एक टन क्षमता का दो Fish Holding Boxes उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii). योजनान्तर्गत फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package) का इकाई लागत ₹ 1.244 (एक लाख चौबीस हजार चार सौ रुपया मात्र) निर्धारित है (अनुलग्नक–II संलग्न) तथा कुल 250 फिशिंग उडेन बोट पैकेज वितरण किया जायेगा। इस अवयव पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 279.90 लाख राशि अनुदान तथा लाभार्थियों द्वारा शेष 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 31.10 लाख राशि लाभुक–अंशदान के रूप में में वहन किया जायेगा।

(ख) <u>फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) वितरण की योजना</u>–

(i). फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) वितरण की योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हें परवाना प्राप्त है/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त नहीं है/परंपरागत मछुआ/महिला–मछुआ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआ लाभुकों– जो मत्स्य शिकारमाही कार्य करते हैं को पैकेज के रूप में एक मोटर चालित एफ०आर०पी० बोट (Fishing FRP Boat), प्रति नाव छः लाइफ जैकेट (Life Jacket), प्रति नाव एक लाइफबॉय (Lifebuoy)/लाइफरेफ्ट (Life raft), प्रति नाव एक टन क्षमता का एक Fish Holding Boxes उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii). योजनान्तर्गत फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) का इकाई लागत ₹ 1.544 लाख (एक लाख चौवन हजार चार सौ रुपया मात्र) निर्धारित है (अनुलग्नक–III संलग्न) तथा कुल 250 फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज वितरण किया जायेगा। इस अवयव पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 347.40 लाख राशि अनुदान तथा लाभार्थियों द्वारा शेष 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 38.60 लाख राशि लाभुक–अंशदान के रूप में में वहन किया जायेगा।

(ग) <u>कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) वितरण की योजना</u>–

(i). कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) वितरण की योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त है/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त नहीं है/परंपरागत मछुआ/महिला– मछुआ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआ लाभुकों–जो मत्स्य शिकारमाही/मछली पकड़ने का कार्य करते हैं को पैकेज के रूप में एक कॉस्ट (फेका) जाल (Cast Net) तथा एक टन क्षमता का एक Fish Holding Boxes उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii). योजनान्तर्गत कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) का इकाई लागत ₹ 0.167 लाख (सोलह हजार चार सात रुपया मात्र) निर्धारित है (अनुलग्नक–IV संलग्न) तथा कुल 2499 फिशिंग कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज वितरण किया जायेगा। इस अवयव पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 375.5997 लाख राशि अनुदान तथा लाभार्थियों द्वारा शेष 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 41.7333 लाख राशि लाभुक–अंशदान के रूप में में वहन किया जायेगा।

7. प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हें परवाना प्राप्त है/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त नहीं है/परंपरागत मछुआ/महिला–मछुआ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआ लाभुकों–जो मत्स्य शिकारमाही कार्य करते हैं के एक व्यक्ति अथवा एक परिवार को फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package), फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) तथा कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) अवयवों में से अधिकतम किसी एक ही अवयव का लाभ देय होगा।

8. नाव और जाल पैकेज वितरण योजना का अवयववार व्यय विवरणी :–

क्र०	योजना अवयव	इकाई लागत (लाख में)	लक्ष्य		लाभुक का अंशदान 10 प्रतिशत (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
			भौतिक लक्ष्य (सं०)	वित्तीय लक्ष्य 90 प्रतिशत अनुदान (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	फिशिंग उडेन बोट पैकेज (सं०)	1.244	250	279.90000	31.10000	311.00000
2	फिशिंग एफ०आर० पी० बोट पैकेज (सं०)	1.544	250	347.40000	38.60000	386.00000
3	कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (सं०)	0.167	2499	375.59970	41.73330	417.33300
	कुल योग :–			**1002.8997**	**111.4333**	**1114.3330**

9. प्रस्तावित योजना के तहत कुल ₹ 1002.89970 लाख राशि अनुदान के रूप में व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत प्रशासनिक स्वीकृत एवं व्यय विवरणी अनुलग्नक–I संलग्न)।

10. इस योजना का क्रियान्वयन चालू एवं आगामी वर्ष में भी किया जायेगा।

11. योजनान्तर्गत लाभुकों का आहर्ता एवं चयन, आपूति हेतु ऐजेन्सी का चयन तथा अनुदान भुगतान से सम्बन्धित विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–V के रूप में संलग्न है।

12. अन्य क्रियान्वयन निदेश :–

(i) योजनान्तर्गत वितरित फिशिंग उडेन बोट (Fishing Wooden Boat)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट (Fishing FRP Boat) पर–

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)
बिहार सरकार

द्वारा ''आर्थिक सहायता से प्रदत्त'' से सम्बन्धित लोगों लगाना अनिवार्य होगा।

(ii) उपर्युक्त वर्णित योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के अध्यक्षता में गठित निम्न समिति लाभुकों के चयन, अनुदान भुगतान, एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु सुझाव भी समय–2 पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र – अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. कनिय अभियंता – सदस्य
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी – सदस्य।

13. इस योजनान्तर्गत जिलावार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदनोपरान्त निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आहरित कर बी०एल०डी०ए० के पी0एल0 खाता में अंतरित किया जाएगा तथा जिलों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अंतरित किया जाएगा।

15. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।

16. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्बन्धित मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधकारिणी समिति को पूरी योजना की जानकारी देंगे। अपरिहार्य कारणों से मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधकरिणी की बैठक ससमय नहीं होने पर समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष को इस योजना की जानकारी देंगे।

17. इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से दिशा निदेश/आदेश जारी किया जा सकेगा।

18. इस योजना हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

19. योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

20. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :– इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष–0104–तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104. 33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित तथा प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त बजटीय उपबंध राशि से किया जायेगा।

21. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

22. दिनांक–06.08.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)54/2025 के पृष्ठ 20–19/प०.

23. यह स्कीम नयी राज्य स्कीम है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2(क) में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में इस योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)54/2025 के पृष्ठ–09/टि० एवं दिनांक–13.08.2025

24. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)54/2025 के पृष्ठ संख्या–10/टि० डायरी क्रमांक–407, दिनांक–14.08.2025

25. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

14/8/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)54/2025–3655 पटना–15, दिनांक–14/8/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)54/2025–3655 पटना–15, दिनांक–14/8/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)54/2025–3655 पटना–15, दिनांक–14/8/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)54/2025–3655 पटना–15, दिनांक–14/8/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)54/2025–3655 पटना–15, दिनांक–14/8/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(6)54/2025—3655 पटना—15, दिनांक—14/8/2025.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 6 एस०एस०(6)54/2025—3655 पटना—15, दिनांक—14/8/2025.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के अन्तर्गत राज्य योजना के तहत **"नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना"** पर प्रशासनिक स्वीकृत, अनुमानित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	योजना अवयव का नाम	विषयशीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
1	फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package) (250 सं०) (इकाई लागत–1.244 लाख)	0104.33.01–सब्सिडी	₹ 279.90	निदेशक मत्स्य	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2	फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) (250 सं०) (इकाई लागत–1.544 लाख)		₹ 347.40		
3	कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) (2499 सं०) (इकाई लागत–0.167 लाख)		₹ 375.5997		
		कुलः–	**₹ 1002.8997**		

(दस करोड़ दो लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

3655
14/8/25

<u>अनुलग्नक–II</u>

फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package) अवयव हेतु प्रति पैकेज इकाई लागत विवरणी :–

Sl. No.	Components/Items	Specification	Unit Cost (Rs. In Lakh)
1	**2**	**3**	**4**
1	Wooden Boat (Non-motorised)	Takhti-1' (base) other Takhti -3/4' Wood Material-30% Sal wood & 70% Jamun approx	0.910
2	Life Jackets @6/boat	6 Nos.	0.100
3	Life Buoy/Life Raft @one unit/boat	-	0.030
4	Fish holding boxes Nos.-02 @10200/each	Capacity-100kg	0.204
		Total Unit Cost	**1.244**
			Total Cost

नोट :– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव एवं मूल्य में निर्धारित कुल राशि रुपया 1.244 लाख के अन्तर्गत परिवर्तन हो सकता है।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

3655
14/8/25

अनुलग्नक–III

फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) अवयव हेतु प्रति पैकेज इकाई लागत विवरणी :–

Sl. No.	Components/Items	Specification	Unit Cost (Rs. In Lakh)
1	2	3	4
1	FRP Fishing Boat (motorised)	Model - FRP - 490 Length - 487cm Width - 152cm Height - 60cm Energy Power - 6HP Max^{m} Nos. - 6 person	1.312
2	Life Jackets @6/boat	6 Nos.	0.100
3	Life Buoy/Life Raft @one unit/boat	-	0.030
4	Fish holding boxes (Insulated) Nos.-01 @10200/each	Capacity-100kg	0.102
		Total Unit Cost	**1.544**
			Total Cost

नोट :– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव एवं मूल्य में निर्धारित कुल राशि रुपया 1.544 लाख के अन्तर्गत परिवर्तन हो सकता है।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

3655
14/8/25

अनुलग्नक–IV

कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) अवयव हेतु प्रति पैकेज इकाई लागत विवरणी :–

Sl. No.	Components/Items	Specification	Unit Cost (Rs. In Lakh)
1	2	3	4
1	Cast Net	Made of Nylon twine No. 2, Confirming ISI specification, Provided with sinkers, Complete Farming, Provided with pockets & pulling rope of ISI standard mark (IS Standard - 5175/2014, Thickness of rope - 6mm	0.065
2	Fish holding boxes(Insulated) Nos.-01 @10200/each	Capacity-100kg	0.102
		Total Unit Cost	0.167
			Total Cost

नोट :– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव एवं मूल्य में निर्धारित कुल राशि रुपया 0.167 लाख के अन्तर्गत परिवर्तन हो सकता है।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

3855
14/8/25

अनुलग्नक–V

1. लाभुकों का आहर्ता एवं चयन–

(i). मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन प्रकाशन कर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक तिथि एवं समयवार सूचीबद्ध कर संधारित करेंगें। लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने पर पुनः विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(ii). त्रुटिपूर्ण प्राप्त आवेदनों के त्रुटि सुधार हेतु सम्बन्धित आवेदकों को एक पक्ष का समय दिया जायेगा। तत्पश्चात, पूर्ण रूप से सभी अनुलग्नकों के साथ प्राप्त/समर्पित आवेदन पत्रों को ही चयन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संकलित किया जायेगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्रों को चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(iii). आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाईल नं० तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित किया जायेगा। आधार कार्ड नं०, बैंक खाता, मत्स्य शिकारमाही कार्य करने सम्बन्धी अनुशंसा एवं स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (यदि प्रशिक्षित हो) आदि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाएगा।

(iv). इस योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त है/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त नहीं है/ परंपरागत मछुआ/महिला–मछुआ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआ लाभुकों–जो मत्स्य शिकारमाही कार्य करते हैं आवेदक होंगे। आवेदक द्वारा मत्स्य शिकारमाही से संबंधित साक्ष्य, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मत्स्य शिकारमाही कार्य करने वाले–सदस्यगण जिन्हे परवाना प्राप्त है, वे अपने समिति के मंत्री अथवा अध्यक्ष तथा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हे परवाना प्राप्त नहीं है/गैर सदस्य–परंपरागत मछुआ–जो मत्स्य शिकारमाही कार्य करते हैं, वे अपने जन–प्रतिनिधि यथा–मुखिया/प्रमुख/जिला परिषद् अध्यक्ष से मत्स्य शिकारमाही का कार्य करने संबंधी अनुशंसा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(v). चयनित लाभुकों द्वारा इस आशय का स्वघोषित शपथ–पत्र कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा कि इस योजनान्तर्ग प्राप्त होने वाले नाव/जाल का प्रयोग मछली शिकारमाही/मछली पकड़ने के कार्य में किया जायेगा तथा उक्त नाव/

3655
14/8/25

जाल के क्रय के तिथि से आगामी 2 वर्ष तक बिक्री नहीं करेंगे। साथ ही उक्त स्वघोषित शपथ–पत्र में यह भी घोषित करेंगे कि नाव/जाल के उक्त अवधि में बिक्री किये जाने की स्थिति में वे योजान्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि सम्बन्धित जिला मत्स्य कार्यालय को वापस करेंगे अन्यथा उक्त प्राप्त अनुदान की राशि की वसूली हेतु उनके विरूद्ध नीलामपत्र–वाद दायर की जायेगा।

(vi). आवेदक द्वारा मत्स्य शिकारमाही कार्य किये जाने की अंतिम रूप से सम्पुष्टि क्षेत्रीय मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय मत्स्य पदाधिकारी के जाँच के आधार पर ही जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा आवेदक के चयन हेतु अनुशंसा किया जायेगा।

(vii). साथ ही, जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा समर्पित/आवेदन के साथ संलग्न मत्स्य शिकारमाही कार्य करने से सम्बन्धित अनुशंसा–पत्र यदि गलत पाया जाता है, तो वैसे आवेदन–पत्र/पत्रों को चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(viii). लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। मत्स्य प्रशिक्षित एवं स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन करने वाले मत्स्य मत्स्य शिकारमाही कार्य करने वाले–आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ix). उपर्युक्त वर्णित योजनान्तर्गत अगर दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तथा आवेदक सभी आवश्यक आर्हताओं को पूर्ण करता हो, तो ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि–रहित वैध दस्तावेज/कागजात/प्रमाण–पत्र के साथ पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(x). चयन के उपरांत सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी चयनित लाभुकों को चयन की लिखित सूचना देंगे तथा कार्यालय के सूचना–पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

2. <u>आपूर्ति हेतु ऐजेन्सी का चयन</u>–

(i). योजनान्तर्गत फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package), फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package) तथा कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) की आपूर्ति हेतु एन०एफ०डी०बी०, हैदराबाद/मत्स्य निदेशालय, बिहार पटना द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसी में से अथवा मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा समाचार पत्रों में ई०ओ०आई० प्रकाशित कर योग्य एजेंसियों को सूचीबद्ध कर किया जाएगा।

3655
14/8/25

(ii). सूचीबद्ध / Empanelled एजेंसियों की सूचि सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को संसूचित की जाएगी।

(iii). जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि Empanelled (सूचीबद्ध) आपूतिकर्ता एजेंसियों की सूची विधिवत अपने कार्यालय के सूचना–पट् तथा अपने जिला के एन०आई०सी० पोर्टल पर ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। इन्ही Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसियों की सूची में से योजनान्तर्गत लाभार्थी अपनी स्वेच्छा से फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/ कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) का क्रय किया जायेगा।

3. <u>अनुदान भुगतान</u> –

(i) योजनान्तर्गत फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/ फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/ कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) के आपूर्ति हेतु मत्स्य निदेशालय / एन०एफ०डी०बी०, हैदराबाद द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसियों की सूची में से चयनित लाभार्थी अपनी स्वेच्छा से क्रय करेंगे।

(ii) चयनित लाभुक के द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी से फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ0आर0पी0 बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) का कोटेशन स्वंय प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

(iii) योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी के द्वारा अपना अंशदान स्वयं चयनित सूचिबद्ध एजेंसी को भुगतान किये जाने संबंधी घोषणा–पत्र (अनुलग्नक–VI संलग्न) संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

(iv) फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) से संबंधित एजेंसी के द्वारा नमूना का एक सेट संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी जिसके आधार पर चयनित आवेदक को नाव / जाल पैकेज की आपूर्ति की जाएगी।

(v) योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी उक्त प्राप्त

3655
14/8/25

राशि/ड्राफ्ट को लाभुक द्वारा चयनित एजेंसी को विधिवत उपलब्ध करायेंगे। संबंधित एजेंसी के द्वारा भी लाभार्थी के द्वारा जमा राशि का Advice समेकित रूप में जिला मत्स्य कार्यालय में जमा किया जाएगा। बिना लाभार्थी अंशदान के आवेदक को इस योजनान्तर्गत लाभ की अनुमान्यता नहीं होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी एवं एजेंसी से प्राप्त क्रमशः पावती एवं Advice से मिलान किया जाएगा एवं तदुपरांत लाभुक को फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी।

(vi) फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) का वितरण जिलों में Camp लगा कर किया जायेगा जिसमें उस जिला के सभी लाभार्थियों एवं एजेंसियों को बुलाया जाएगा। साथ ही उप मत्स्य निदेशक एवं प्रशासन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। Camp का आयोजन उप मत्स्य निदेशक के मार्ग-दर्शन में जिला/प्रमंडल-स्तर पर की जा सकेगी।

(vii) आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा वितरित होने वाले फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/ कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) आदि से सम्बन्धित कागजात दो प्रतियों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भौतिक सत्यापन के पश्चात एक प्रति लाभुक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा दूसरा प्रति का संधारण सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय में किया जाएगा।

(viii) फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) का गुणवत्तापूर्ण की जाँच संबंधित परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे- .

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र - अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य सचिव
3. सहायक अभियंता /कनिय अभियंता - सदस्य

3655
14/8/25

4. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एम०भी०आई०) – सदस्य

5. योजना प्रभारी–मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य।

उक्त समिति द्वारा योजनान्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली पैकेज–सामग्रियों के गुणवत्ता की जॉच संयुक्त रूप से की जाएगी तथा संयुक्त जाँच–पत्र पर हस्ताक्षर अंकित की जाएगी (अनुलग्नक–VII संलग्न)।

(iv). फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) के आपूर्ति के पश्चात् लाभुक से एक सहमति–पत्र (अनुलग्नक–VIII संलग्न) लिया जाएगा जिसमें गुणवत्तापूर्ण नाव/जाल पैकेज प्राप्त होने तथा एजेंसी को देय राशि (सब्सिडी) भुगतान किये जाने का अनुरोध जिला मत्स्य पदाधिकारी से किया जाएगा।

(v). योजनान्तर्गत फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ0आर0पी0 बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) की आपूर्ति मत्स्य निदेशालय/एन०एफ०डी०बी०, हैदराबाद द्वारा Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसमें गुणवत्तापूर्ण नाव/ जाल पैकेज की आपूर्ति के पश्चात् सहायता राशि लाभार्थी के सहमति से संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान की जाएगी।

(vi). योजनान्तर्गत लाभाथियों को देय अनुदान राशि का अनुमोदन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विधिवत किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभुकों के सहमति पत्र के आलोक में लाभाथियों को देय अनुदान की राशि को सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान उनके बैंक खाता में विमुक्त किया जाएगा।

14/8/25

सरकार के अपर सचिव

3655
14/8/25

अनुलग्नक–VI
अंशदान संबंधी घोषणा–पत्र

मैं श्री/श्रीमति/सुश्री ...., पिता ...., ग्राम ...., पोस्ट ...., प्रखंड ...., जिला .... का निवासी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ''सात निश्चय–2 के तहत ''नाव एवं ज़ाल पैकेज वितरण योजना'' के अन्तर्गत नब्बे प्रतिशत अनुदानित दर पर .... अवयव का लाभ लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं मत्स्य शिकारमाही/मछली पकड़ले का कार्य करता/करती हूँ।

इस योजना से लाभ लेने हेतु मैं मो0 .... (इकाई लागत का 10%) रूपया चिन्हित एजेंसी को चेक/नकद/डी0डी0 के माध्यम से जमा कर पावती जिला मत्स्य कार्यालय .... में ....को जमा कर रहा/रही हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

3655
14/8/25

अनुलग्नक–VII
गुणवत्ता संबंधी संयुक्त जाँच प्रपत्र

योजनान्तर्गत फिशिंग उडेन बोट पैकेज (Fishing Wooden Boat Package)/फिशिंग एफ०आर०पी० बोट पैकेज (Fishing FRP Boat Package)/कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज (Cast Net Package) का वितरण जो दिनांक–.............को जिला / परिक्षेत्र के .... स्थान पर प्रस्तावित हैं, के लिए उपलब्ध ....की भौतिक जाँच संयुक्त रूप से की गई जो जिला में रखी गई नमूना के अनुरूप गुणवत्तायुक्त पाया गया।

1. योजना प्रभारी का हस्ताक्षर
2. सहायक अभियंता / कनिय अभियंता का हस्ताक्षर
3. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एम०भी०आई०)
4. जिला मत्स्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर
5. उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) का हस्ताक्षर

3655
14/8/25